

करौली

कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गदका की चौकी, करौली-322241, फोन नं. 07464-297003, Email: dcf.kroli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक एफ () एफसीए/उवसं/2020/ 5449
निमित्त :-

दिनांक 04/9/2020

मुख्य वन संरक्षक,
भरतपुर।

विषय:- Diversion of 0.99 ha. Of forest land in favour Public Work Department ,
Sikandra Dausa Rajasthan for "Construction of missing link road from
udaipura to Todabheem Road.

संदर्भ:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर द्वारा जारी EDS दिनांक
07.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण मे संदर्भित पत्र द्वारा जारी EDS बिन्दु संख्या 1 से 12 तक की
पालना निम्न प्रकार है :-

1. इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
2. बिन्दु संख्या 2 की पालना कर दी गई है।
3. बिन्दु संख्या 3 की पालना कर दी गई है।
4. बिन्दु संख्या 4 के कम में पूर्व मे चौकी निर्माण हेतु मांग की गई राशि को संशोधित करते हुए अतिक्रमण
रोकने हेतु 2200 र.मी. दीवार की अभिशंषा की गई है।
5. बिन्दु संख्या 5 की पालना कर दी गई है।
6. बिन्दु संख्या 6 की पालना यूजर ऐजेन्सी द्वारा करवा दी गई है।
7. बिन्दु संख्या 7 की पालना यूजर ऐजेन्सी द्वारा करवा दी गई है।
8. बिन्दु संख्या 8 की पालना यूजर ऐजेन्सी द्वारा करवा दी गई है।
9. बिन्दु संख्या 9 के कम मे उप वन संरक्षक करौली द्वारा टिप्पणी साईट निरीक्षण रिपोर्ट पहले से ही की जा
चुकी है।
10. बिन्दु संख्या 10 की पालना यूजर ऐजेन्सी द्वारा करवा दी गई है।
11. बिन्दु संख्या 11 की पालना यूजर ऐजेन्सी द्वारा करवा दी गई है।
12. बिन्दु संख्या 12 की पालना यूजर ऐजेन्सी द्वारा की जानी है।

अतः उक्त सभी आक्षेपों की पूर्ति कर उक्त प्रस्ताव की पूर्ति कर अगिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न - 3 (करौली) + 2 दौसा की प्रतिया

(श्रवण कुमार आर)
उप वन संरक्षक,
करौली

क्रमांक/सम/ 5450-52

दिनांक 04/9/2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी एफ.सी.ए जयपुर।
2. अधीशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सिकन्दरा (दौसा)।
3. जिला कलक्टर करौली।

उप वन संरक्षक,
करौली